<u>न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा</u>
पीठासीन अधिकारी – पियूष कुमार मेडतिया, RJS
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 102/2023
(सी.आई.एस. नंबर 243/2022)
सीएनआर नंबर– RJRS070002032022

नारायणलाल पिता गणेशलाल, उम्र 31 साल, निवासी बस स्टैंड गांव कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

––परिवादी

बनाम

वजीरसिंह पिता जयसिंह, उम्र 35 साल, निवासी चौबारा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।

––अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881</u>

<u>उपस्थिति–</u>

1. परिवादी की ओर से – अधिवक्ता श्री अणुजित मुखिया
2. अभियुक्त की ओर से – अधिवक्ता श्री भगवतीलाल टांक

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक : 13.03.2026</u>**

1. परिवादी द्वारा एक परिवाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 06.07.2021 को पेश किया गया था, जो परिवाद प्रकरण संख्या 243/2022 में दर्ज किया गया। उसके पश्चात् श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 108 दिनांक 16.12.2023 की पालना में इस न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) नाथद्वारा में अंतरित किया गया जो प्रकरण संख्या 102/2023 के रूप में दर्ज किया गया, जिसका निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त द्वारा केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सोल्यूशन नामक कंपनी का संचालन किया जाता था। अभियुक्त द्वारा परिवादी व उसके अन्य परिचितों को उक्त कंपनी में निवेश करने को कहा गया, जिस पर परिवादी व उसके अन्य परिचितों द्वारा परिवादी के कहेनुसार समय–समय पर कुलिया 15,00,000/– रुपये का निवेश किया गया। अभियुक्त द्वारा किसी कारणवश उक्त कंपनी का विधिवत संचालन नहीं किए जाने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा उक्त निवेश की गई राशि के भुगतान के एवज में परिवादी को अभियुक्त ने अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोरखपुर, फतेहाबाद का एक चैक संख्या 861626, राशि 15,00,000/– अक्षरे पंद्रह लाख रुपये, दिनांक 12.04.2021 का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक

को अपनी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक को ''राशि अपर्याप्त'' के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 13.05.2021 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 17.05.2021 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो पंजीकृतस सूचना पत्र दिनांक 25.05.2021 को ''प्राप्तकर्ता कई दिनों से गांव में नहीं रहता, बल्कि कहीं बाहर रहता है'' के साथ वापस लौटा दिया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की, इसलिये परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, परिवादी अभियुक्त से चैक में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को उसके कृत्य की सख्त से सख्त सजा दिये जाने का आदेश प्रदान करे तथा परिवादी के पक्ष में यह आदेश प्रदान किया जावे कि अभियुक्त परिवादी को उक्त चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि मय हर्जे खर्चे अदा करें।

3. परिवाद के समर्थन में परिवादी नारायणलाल ने स्वयं का साक्ष्य में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक, बैंक का रिटर्न मेमो, पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति, पोस्टल रसीद व लिफाफा प्रस्तुत किये।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रकट होने पर उसके विरूद्व उक्त अपराध का दिनांक 25.02.2022 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया व अभियुक्त को दिनांक 15.09.2023 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) परक्राम्य लिखित अधिनियम (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को साबित करने के लिये परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैंः–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	नारायणलाल	पी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित

1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	लिफाफा	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1
6.	बैंक का स्टेटमेंट	प्रदर्श डी1	पी.ड.1

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने कथन किया कि मैंने परिवादी को संपूर्ण राशि लौटा दी है। परिवादी के पास मेरे खाली चैक पड़े थे, जिसका परिवादी द्वारा दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा किया है।

7. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई।

8. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस तर्क रहा है कि परिवादी अपना परिवाद साक्ष्य के जरिये साबित करने में सफल रहा है। परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन अभियुक्त करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर एवं कठोर सजा दी जाकर भारी हर्जाने से दंडित किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा मौखिक बहस कर मुख्य रूप से यह कथन किये कि अभियुक्त ने परिवादी को कुछ राशि चैक अनादरण के पहले ही लौटा दी थी अतः जो राशि परिवादी द्वारा मांगी जा रही है, वह परिवादी की राशि नहीं है। परिवादी ने केवल मात्र चार लाख रुपये ही अभियुक्त को दिए थे ऐसे में परिवादी अभियुक्त से प्रश्नगत चैक की राशि वसूल नहीं कर सकता है। परिवादी ने प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि बढ़ा–चढ़ाकर भरकर बैंक में पेश किया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करना फरमावे।

11. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

आया आया अभियुक्त ने परिवादी के प्रति अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे प्रकरण में प्रश्नगत चैक संख्या 861626, राशि 15,00,000/– अक्षरे पंद्रह लाख रुपये, दिनांक 12.04.2021, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोरखपुर, फतेहाबाद का दिया था।

परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक दिनांक 13.05.2021 को "राशि अपर्याप्त" के नोट के साथ बिना भुगतान के वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 17.05.2021 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 25.05.2021 को "प्राप्तकर्ता कई दिनों से गांव में नहीं रहता, बल्कि कहीं बाहर रहता है" पृष्ठांकन के साथ वापस लौटा दिया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं करने पर परिवादी द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने से एक माह के अन्दर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है?

2. यदि हां तो न्यायोचित/उपयुक्त दंड क्या हो?

13. इस विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते का होने, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, परिवादी द्वारा चैक को विहित अवधि के दौरान समाशोधन हेतु पेश करने, उक्त चैक **"अपर्याप्त राशि"** के रिमार्क के कारण अनादरित हो जाने तथा परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित समयावधि में नोटिस प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं किये गये। इस कारण उक्त तथ्यों के संबंध में प्रकरण में विवेचन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

14. विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं का अवधारण किया जाना है:–

(i) क्या प्रकरण में प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व अदायगी बाबत अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी किया गया था तथा परिवादी के हक में उपधारणा अन्तर्गत धारा 139 एन.आई. एक्ट जागृत हुई?

15. न्यायालय के समक्ष विचारणीय उक्त बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर था जिस संबंध में परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किये हैं कि अभियुक्त द्वारा केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सोल्यूशन नामक कंपनी का संचालन किया जाता था। अभियुक्त द्वारा परिवादी व उसके अन्य परिचितों को उक्त कंपनी में

निवेश करने को कहा गया, जिस पर परिवादी व उसके अन्य परिचितों द्वारा परिवादी के कहेनुसार समय–समय पर कुलिया 15,00,000/– रुपये का निवेश किया गया। अभियुक्त द्वारा किसी कारणवश उक्त कंपनी का विधिवत संचालन नहीं किए जाने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा उक्त निवेश की गई राशि के भुगतान के एवज में परिवादी को अभियुक्त ने अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोरखपुर, फतेहाबाद का एक चैक संख्या 861626, राशि 15,00,000/– अक्षरे पंद्रह लाख रुपये, दिनांक 12.04.2021 का दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक को अपनी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नाथद्वारा में पेश किया, वहां से उक्त चैक को ''राशि अपर्याप्त'' के नोट के साथ बिना भुगतान के साथ दिनांक 13.05.2021 को वापस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया चैक अनादरित हो गया। अभियुक्त द्वारा दिये गये चैक के डिस्ऑनर होने पर चैक की राशि के भुगतान की मांग बाबत परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस दिनांक 17.05.2021 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भिजवाया, जो पंजीकृतस सूचना पत्र दिनांक 25.05.2021 को ''प्राप्तकर्ता कई दिनों से गांव में नहीं रहता, बल्कि कहीं बाहर रहता है'' के साथ वापस लौटा दिया। अभियुक्त ने नोटिस की समयावधि में तथा तत्पश्चात आज तक भी उक्त चैक की राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की। इस संबंध में परिवादी द्वारा निम्न सारणी अनुसार मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य पेश किए हैं:–

क्रम संख्या	नाम	व्याख्या
1.	नारायणलाल	पी.ड.1

क्रम संख्या	प्रदर्श की व्याख्या	प्रदर्श	किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित
1.	असल चैक	प्रदर्श पी 1	पी.ड.1
2.	रिटर्न मेमो	प्रदर्श पी 2	पी.ड.1
3.	पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति	प्रदर्श पी 3	पी.ड.1
4.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 4	पी.ड.1
5.	लिफाफा	प्रदर्श पी 5	पी.ड.1
6.	बैंक का स्टेटमेंट	प्रदर्श डी1	पी.ड.1

16. सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी परिवादी से जिरह के अवलोकन से निम्न तथ्यों पर

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं किया जाना दृष्टिगत हैः–

1. **चैक प्रदर्श पी 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना।**
2. **चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया जाना।**
3. **चैक परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो जाना।**
4. **तदोपरांत अभियुक्त को परिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि मांगने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाना।**

17. चूंकि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया जाना दृष्टिगत है, जिससे परिवादी के पक्ष में धारा 118(ए) व 139 एन.आई. एक्ट में वर्णित उपधारणा का सृजन होता है, जिसके अनुसारः–

> **Section 118-** Presumptions as to negotiable instruments.- Until the contrary is proved, the following presumtions shall be made: (a) of consideration- that every negotiable intrument was made or drown for considerration, and that every such instrument, when it has been accepted, indoresd, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration;
>
> **Section 139-** Presumption in favour of holder.- It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 118(ए) एवं 139 एन. आई. एक्ट में वर्णित उपधारणाओं के संबंध में अपने न्यायिक दृष्टान्त "Basalingappa Vs. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418" में वृहद् विवेचन करते हुए निम्न सिद्धान्त पारित किया है :–

> "25. We having noticed the ratio laid down by this court in the above cases on sections 118(a) and 139, We now summarise the principles enumerated by this

court in following manner : 25.1 Once the execution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt of other liability.

25.2 The presumption under section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof or rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.

25.3 To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which they rely.

25.4 That it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.

19. उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उक्त उपधारणाओं का खण्डन करने का भार अभियुक्त पर होता है। उक्त उपधारणाओं का खण्डन संभावनाओं की प्रतिपादना पर किया जाता है एवं अभियुक्त परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मय संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न कर न्यायालय के समक्ष उक्त उपधारणाओं के संबंध में संदेह उत्पन्न कर सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा ऐसा संदेह उत्पन्न कर दिया जाता है तो उक्त उपधारणाओं को पुनः संदेह से परे प्रमाणित करने का भार परिवादी पर रहता है।

20. हस्तगत प्रकरण में यह विवाद रहित है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया गया या चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हुआ, ऐसे में अब अभियुक्त को परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खण्डन करना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व की अदायगी पेटे जारी

किया जाना उपधारणा के प्रकाश में प्रकट होता है।

(ii) क्या अभियुक्त उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा?

21. इस बिन्दु के संबंध में जैसा कि निर्णय के खंड संख्या 12 व 13 के (i) में विवेचन किया गया है। परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा का सृजन हुआ है। अब यह भार अभियुक्त पर है कि वह संदेह उत्पन्न कर उपधारणा का खंडन करें।

22. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता की प्रतिरक्षा का प्रश्न है तो अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्त ने परिवादी को कुछ राशि चैक अनादरण के पहले ही लौटा दी थी अतः जो राशि परिवादी द्वारा मांगी जा रही है, वह परिवादी की राशि नहीं है। परिवादी ने केवल मात्र चार लाख रुपये ही अभियुक्त को दिए थे ऐसे में परिवादी अभियुक्त से प्रश्नगत चैक की राशि वसूल नहीं कर सकता है। परिवादी ने प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि बढ़ा–चढ़ाकर भरकर बैंक में पेश किया है। उपरोक्त प्रतिरक्षा के संबंध में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान परिवादी की जिरह की ओर आकर्षित करवाया गया। परिवादी/गवाह पी.ड.1 की जिरह का अवलोकन किया जाए तो परिवादी जिरह में यह कथन करता है कि ''उक्त 15 लाख रुपये मेरे परिवारजन में से भैरूलाल के एक लाख रुपये, नंदनलाल प्रजापत के दो लाख रुपये, प्रकाशचंद्र राव से दो लाख रुपये, रामलाल प्रजापत से दो लाख रुपये, रतनलाल प्रजापत के तीन लाख रुपये तथा नारायणलाल कुमावत से दो लाख रुपये तथा बाकी मेरे पास से दिए। उक्त रुपये जोड़कर अभियुक्त को उधार दिए थे मैंने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया।''

उपरोक्त कथन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत चैक की राशि केवल अभियुक्त की न होकर उसमें भैरूलाल के एक लाख रुपये, नंदनलाल प्रजापत के दो लाख रुपये, प्रकाशचंद्र राव से दो लाख रुपये, रामलाल प्रजापत से दो लाख रुपये, रतनलाल प्रजापत के तीन लाख रुपये तथा नारायणलाल कुमावत से दो लाख रुपये तथा बाकी की राशि परिवादी की थी। उक्त सभी राशि को जोड़कर परिवादी ने अभियुक्त को कुल 15 लाख रुपये देना बताया है। उपरोक्त राशि के संबंध में परिवादी तथा पी.ड.1 शपथ पत्र में यह कथन करता है कि परिवादी व उसके अन्य परिचितों ने केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सॉल्युशन नामक कंपनी में 15 लाख रुपये निवेश किए थे, जबकि पी.ड.1 गवाह/परिवादी जिरह में उपरोक्त कथन से विपरीत जाकर यह कथन करता है कि उसके द्वारा 15 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर अभियुक्त को नकद उधार दिए थे। ऐसे में परिवाद तथा

शपथ पत्र में पी.ड.1 में वर्णित तथ्य से भिन्न जाकर परिवादी ने जिरह में विरोधाभाषी कथन किए हैं। परिवादी को यह बताना आवश्यक था कि प्रश्नगत चैक की राशि अभियुक्त को उधार दी गई या किसी कंपनी में निवेश की गई। उक्त तथ्य के संबंध में परिवादी स्वयं अपने परिवाद तथा शपथ पत्र में वर्णित कथनों से विपरीत कथन करता है। ऐसे में यह संदेह उत्पन्न होता है कि प्रश्नगत चैक की राशि परिवादी ने अभियुक्त को उधार दी या केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सॉल्युशन नामक कंपनी में निवेश की।

इसके अतिरिक्त परिवाद के सी से डी भाग से यह स्पष्ट है कि परिवादी पूर्ण 15 लाख रुपये की राशि परिवादी व उसके अन्य परिचितों की होना बताया है तथा परिवादी जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार कर यह कथन करता है कि उक्त राशि में भैरूलाल के एक लाख रुपये, नंदनलाल प्रजापत के दो लाख रुपये, प्रकाशचंद्र राव से दो लाख रुपये, रामलाल प्रजापत से दो लाख रुपये, रतनलाल प्रजापत के तीन लाख रुपये तथा नारायणलाल कुमावत से दो लाख रुपये तथा शेष राशि परिवादी की थी। ऐसे में अभियुक्त यह संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है कि प्रश्नगत चैक की संपूर्ण राशि परिवादी प्राप्त करने हेतु योग्य नहीं है क्योंकि अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी राशि वसूलने हेतु परिवादी को अधिकृत किया हो तो ऐसा प्रकट नहीं होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 138 एनआई एक्ट के अनुसार केवल विधिक रूप से वसूले जाने योग्य ऋण के अदायगी पेटे दिए गए चैक का अनादरण ही धारा 138 एनआई एक्ट के अपराध में आता है। अभियुक्त ने विधिक ऋण होने के संबंध में संदेह उत्पन्न कर मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा उठाई है कि प्रश्नगत चैक की संपूर्ण राशि परिवादी की नहीं है तथा प्रश्नगत चैक की राशि परिवादी ने अभियुक्त को उधार नहीं दी जाकर केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सॉल्युशन नामक कंपनी में निवेश की थी। उक्त कंपनी का संचालन वजीर सिंह द्वारा किया जाता हो या उक्त कंपनी ने वजीर सिंह को राशि प्राप्त करने या अदा करने हेतु अधिकृत किया हो तो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है, न ही इस संबंध में गवाह पी.ड.1 ने मौखिक कथन किया है। उल्टा परिवादी परिवाद व शपथ पत्र के विपरीत जाकर राशि निवेश करने का न कहकर अभियुक्त को उधार देना बताता है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में संदेह उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में संदेह उत्पन्न करने मात्र से धारा 139 व 118 एनआई एक्ट की उपधारणा का खंडन हो जाता है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी स्वयं जिरह में परिवाद से भिन्न कथन करता है ऐसे में उक्त विरोधाभाष से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि परिवादी ने 15 लाख रुपये

की राशि अभियुक्त को उधार दी या केयर कार्ट फॉर यू ऑनलाइन सॉल्युशन नामक कंपनी में निवेश की।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा यह भी प्रतिरक्षा ली गई है कि प्रश्नगत चैक की राशि में से अभियुक्त ने 62,862/– रुपये लौटा दिए हैं तो इस संबंध में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श डी1 भी प्रदर्शित करवाया गया है। परिवादी जिरह में प्रदर्श डी1 के संबंध में यह कथन करता है कि ''प्रदर्श डी1 मेरे खाते का स्टेटमेंट है। यह मुझे याद नहीं है कि दिनांक 22.07.2020, 05.08.2020, 20.08.2020, 05.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020, 23.09.2020, 04.10.2020, 21.09.2020, 21.09.2020, 20.07.2020 क्रमशः राशि 3643, 3175, 2646, 2694, 2910, 432, 1088, 26214, 2910, 7351, 3643 कुल 62862/– रुपये कंपनी द्वारा मेरे खाते में डलवाए थे, अज खुद कहा कि मित्रता होने से अभियुक्त ने मेरे खाते में राशि खर्चे पानी के लिए डलवाई होगी। उक्त राशि कंपनी ने मेरे खाते में खर्चे पानी हेतु क्यों डाली, मुझे पता नहीं है कि मैं तो अभियुक्त को जानता हूं। अभियुक्त ने ही मेरे खाते में डाली होगी।''

यदि इस कथन के अतिरिक्त प्रदर्श डी1 का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श डी1 में उपरोक्त दिनांक को राशि आना उल्लेखित है। परिवादी ने दौराने जिरह इनकार नहीं किया है कि उक्त राशि अभियुक्त द्वारा परिवादी के खाते में नहीं डलवाई तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी के खाते में खर्चे पानी हेतु डलवाई होगी। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में सम्यक् रूप से प्रतिरक्षा स्थापित कर संदेह उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। केवल मात्र संदेह उत्पन्न होने से परिवादी के हक में जागृत उपधारणा का खंडन हो जाता है।

जहां अभियुक्त अधिवक्ता यह संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है कि चैक राशि बकाया राशि से अधिक है तो इस संबंध में विधि का अवलोकन किया जाए तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंगु परमेश्वरी टैक्सटाइल लि. बनाम श्रीराजम व कंपनी 2001 कंपनी केस वॉल्युम 105 186 में यह प्रतिपादित किया है किः–

> "For the purposes of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, the cheque should be towards the discharge of either the whole debt or part of the debt. If the cheque is for more than the amount of the debt due, Section 138 cannot be

attracted"

उपरोक्त नजीर के प्रकाश में जहां चैक बैंक में प्रस्तुत करने के समय बकाया राशि चैक राशि से कम हो तो ऐसे प्रकरण में धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध नहीं बनता है तो ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना उचित प्रकट होता है। फलस्वरूप हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा रही है कि परिवादी ने 15 लाख रुपये कंपनी में निवेश नहीं कर कुछ राशि निवेश की थी, जिसके संबंध में परिवाद सी से डी में स्पष्ट कथन अंकित है कि परिवादी व अन्य परिचितों द्वारा मिलकर 15 लाख रुपये कंपनी में निवेश किए थे ऐसे में उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी अभियुक्त से 15 लाख रुपये की राशि न मांगकर उससे कम की राशि ही मांगता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने 15 लाख रुपये में से कुछ राशि अभियुक्त द्वारा परिवादी के खाते में डालने की प्रतिरक्षा ली गई है, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया है ऐसे में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी को दोषमुक्त किया जाना उचित प्रकट होता है। परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने के उपरांत अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

23. अतः अभियुक्त वजीरसिंह पिता जयसिंह, उम्र 35 साल, निवासी चौबारा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के लिये दोषमुक्त किया जाता है।

24. इस निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपील में उपस्थित होने के लिये धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानतनामा व बंध पत्र निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिये प्रवर्तन में रहेंगे।

(पियूष कुमार मेड़तिया)

25. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पियूष कुमार मेड़तिया)